FORM N0. III

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

अजय व अन्य बनाम गिरीराज व अन्य

किस्म मुकदमा/प्रा.प.बा.दा./एलआर/नं0 1189 /सन् 2020 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थी/अपी0 अधि. – श्री रामसुख चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी उपस्थित जिन्हें बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	
24.12.2020	पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपील संख्या 25/2014 (2014/00034) बउनवान अजय व अन्य बनाम गिरीराज व अन्य में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2019 जिसके द्वारा अपील को अदम तकमील में खारिज किया गया है, को पुनः नम्बर लिया जाकर अपील पुनः दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 09.09.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.09.2019 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि अपील में प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा विपक्षी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के सम्मन व तलवाना प्रस्तुत नही किये जाने के कारण न्यायालय ने मूल अपील को अदम तकमील में खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट के सममन व तलवाना प्रस्तुत करने मे कोई जानबूझकर लापरवाही नही वरती गई, कारण की अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्व मे प्रस्तुत सम्मन की पुस्त पर उक्त व्यक्ति का ग्राम सावर मे नही रहना बताया गया अर्थात संबंधित व्यक्ति को [illegible] प्राप्त करने हेतु अभिभाषक ने पक्षकार को सूचित कर[illegible]या [illegible] तथा सूचना पक्षकार से प्रापत होना शेष थी। दौराने बहस प्रार्थी/अपील[illegible] यह भी कथन किया गया कि प्रकरण मे दिनांक 10.05.20[illegible] को प्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि अभिभाषक (ब्रीफ होल्डर) के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर इस प्रकरण मे आगामी तारिख पेशी 05.07.2019 नियत की गई। इस तारीख पेशी पर प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित होने पर यह प्रकरण दिनांक 05.07.2019	

(डॉ. वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी/अपी0 अधि. – श्री रामसुख चौधरी

की कॉज लिस्ट मे सूचिबद्ध नही था जिस पर जानकारी करने पर दिनांक 12.07.2019 को प्रार्थी अभिभाषक को जानकारी हुई की यह प्रकरण दिनांक 10.05.2019 को अदम तकमील मे खारीज किया गया है तब उक्त आदेश, प्रतिनिधि पत्र व दैनिक वाद सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर, जानकारी से अन्दर मियाद यह बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण सम्मन तलवाना तथा पंजीबद्ध डाक द्वारा सम्मन तामिली का खर्च वहन करने हेतु तत्पर है। अतएव न्यायहित में अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवायी गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अन्त में प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावें।

प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी को न्यायहित मे अन्दर मियाद शुमार करते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अपील व प्रार्थना पत्र बाजदायरी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2014 में दर्ज होकर लगभग 5 वर्ष से विचाराधीन चला आ रहा था। प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 के नोटिस पेश करने हेतु दिनांक 14.10.2014 की पेशी से लगातार पेशी पर नियत चली आ रही थी। पत्रावली लगभग 5 वर्ष तक इसी आधार पर लम्बित रहीं है। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक को नोटिस पेश करने हेतु न्यायहित में कई अवसर दिये गये यहां तक कि नोटिस पेश करने हेतु हिदायत भी दी गई तथा इस हेतु न्यायहित मे अन्तिम अवसर भी दिया गया है। किन्तु इसके उपरान्त भी प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के नोटिस पेश नहीं किये गये और इसी कारण मूल अपील दिनांक 10.05.2019 को अदम तकमील में खारिज कर दी गई। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मूल अपील मे लगभग 5 वर्ष तक न्यायहित में लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 01 के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाने के सम्बन्ध मे कोई युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत कारण अंकित नहीं किया है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण तथा नियमानुसार इस न्यायालय में पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो तथा बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर